:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल RAS.
मूकदमा नम्बर 58/2021

श्री धीरभान पुत्र वरसिंह जाति लबाना उम्र वयस्क निवासी नवलपुरा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

—प्रार्थी

बनाम

श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

—विपक्षी

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढी कराने।

उपस्थित :–

1 **श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता प्रार्थी**

:: निर्णय :: दिनांक 15/05/2024

1. **प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि** प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव पीठ के खसरा 3834/356, 3838/358 का रकबा कमशः 0.1052 हैक्टेयर, 0.0405 हैक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल खसरा किता 2 का कुल रकबा 0.1457 हैक्टेयर भूमि है। कि बिन्दू सख्या 1 में वर्णित आराजी प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि हैं प्रार्थी की खातेदारी भूमि के आस–पडौसीयो द्वारा अकारण सीमा विवाद किया जा रहा है ऐसे में पत्थरगढी कर स्थाई निवारण किया जाना आवश्यक हैं कि प्रार्थी द्वारा सीमाकन भी करवाया है किन्तु आस–पडौसीयो द्वारा विवाद किया जा रहा है ऐसे में मौके पर पत्थरगढी करवाई जानी आवश्यक हैं। मौके पर पत्थर रोप कर स्थाई चिन्हीकरण किया जाना आवश्यक है। कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव पीठ खाता सख्या 1118 के खसरा 3834/356, 3838/358 कुल खसरा किता 2 का कुल रकबा 0.1457 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है ऐसे में प्रथम दृष्टयानामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे है, प्रार्थनापत्र में वर्णित गॉव पीठ के खसरा 3834/356, 3838/358 कुल खसरा किता 2 का कुल रकबा 0.1457 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कर स्थाई चिन्ह नहीं लगाए जाने से सीमाविवाद रहेगा, जिससे प्रार्थी को अपुरणीय क्षती होगी।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी को तलब किया गया, विपक्षी का जवाब हुआ है।

प्रार्थी द्वारा पूर्व में पेमाईस के सबध में कोई दरतावेज पेश नहीं किए है, ऐसे में प्रार्थी द्वारा पेमाईस करवाने की शर्त का पालन करने के पश्चात प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी की पत्थरगढी करने का अदेश दिया जाता है।

अतः तहसीलदार तहसील सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर राज को आदेशित किया जाता है कि अगर प्रार्थी विधिवत् रूप से निर्धारित

Scanned with OKEN Scanner

राशि जमा करवाकर पैमाईश की कार्यवाही करवाता है तो प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव पीठ के खसरा 3834/356, 3838/358 कुल खसरा किता 2 का कुल रकबा 0.1457 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी, पत्थर लगाकर स्थाई सीमा चिन्ह लगा कर करने के आदेश दिए किए जाते है, तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पलाना कर रिपोर्ट न्यायालय में अवीलम्ब पेश करे।, तहसीलदार तहसील सीमलवाडा थानाधीकारी धम्बोला को तहरीर जारी कर, माकुल पुलिस जाब्ता प्राप्त करे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

निर्णय आज दिनांक 15/05/2024. को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा